इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 273] भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 जुलाई 2014—आषाढ़ 14, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2014

अधि. क्र. 16-एफ-1-33-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14 की उपधारा (2) तथा धारा 433 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"3-क मतदाता सूची आदि तैयारी करने में पदीय कर्तव्यों का भंग.—

(1) यदि कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या कोई व्यक्ति, जो मतदाता सूची की किसी ऐसी प्रविष्टि के पुनरीक्षण अथवा उसमें सुधार के सम्बन्ध में, जो उसमें सम्मिलित की जाना है या उसमें से अपवर्जित की जाना है, अपने ऐसे पदीय कर्तव्यों का भंग करता है जिनका कि उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा निर्वहन किया जाना है, तो वह, उस दशा में, जहां कि किसी कृत्य का ऐसा भंग या लोप बिना किसी युक्तियुक्त कारण के किया गया हो, जुर्माने सहित कारावास से जो तीन मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.

(2) जब तक कि निर्वाचन आयोग या संबंधित जिले के कलेक्टर एवम् जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके अधीन प्राधिकार से परिवाद न किया जाए, कोई भी न्यायालय संज्ञान के बिना, दण्ड देने के लिए सक्षम नहीं होगा.

2. नियम 5 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(2-क) यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्रारूप मतदाता सूची पर दावे/आपत्ति प्राप्त करने के लिए किसी कर्मचारी को प्राधिकृत करेगा. यह कर्मचारी वार्ड का संदर्भ लेते हुए प्राधिकृत किया जाएगा.".

3. नियम 26 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1) किसी भी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसने नियम 25 के अधीन या तो नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते सयम या उसके पूर्व, रिटर्निंग आफिसर के पास निम्नांकित राशि नगद के रूप में जमा न कर दी हो, अर्थात्:—

(क) "पार्षद" के स्थान के लिए—

(एक) किसी नगरपालिका परिषद् के मामले में रु. 1000/- की धनराशि;

(दो) किसी नगरपालिका के मामले में रु. 3000/- की धनराशि;

(तीन) किसी नगरपालिका निगम के मामले में रु. 5000/- की धनराशि;

(ख) किसी नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष के स्थान के लिए रु. 10000/- की धनराशि;

(ग) किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के स्थान के लिए रु. 15000/- की धनराशि;

(घ) किसी नगरपालिका निगम के महापौर के स्थान के लिए रु. 20000/- की धनराशि :

परन्तु जहां कोई अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो वहां, इस नियम के अधीन उससे उपरोक्त धनराशि का केवल आधा भाग निक्षेप के रूप में जमा करवाया जाना अपेक्षित होगा.".

4. अध्याय 7-क में शब्द "मतदाता-नामावली, निर्वाचक-नामावली" जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर, शब्द "मतदाता सूची" स्थापित किए जाएं.

5. नियम 63-ट में उपनियम(1) में, खण्ड (क) में, शब्द अंक, कोष्ठक तथा अक्षर "50(4) (क) में यथा उपबंधित" के स्थान पर, शब्द, अंक, कोष्ठक तथा अक्षर "50 (4) (क) में यथा उपबंधित, मतदाता प्ररूप 17 में मतदाता क्रमांक अभिलिखित करेगा" स्थापित किए जाएं.

6. नियम 63 ढ में, उपनियम (4) में, शब्द, अंक तथा अक्षर "नियम 33-ड में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए" के स्थान पर शब्द, अंक, तथा अक्षर उसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, जो नियम 63 ड में अधिकथित है," स्थापित किए जाएं.

7. नियम 63थ में, शब्द तथा अंक "प्ररूप 18" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "प्ररूप 18क" स्थापित किए जाएं.

8. नियम 69 में, उपनियम (2) में, शब्द तथा अंक "प्ररूप 21" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "प्ररूप 21क" स्थापित किए जाएं.

9. नियम 69 ग में,—

(एक) उपनियम (1) में, शब्द तथा अंक "प्ररूप 21" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर "प्ररूप 21-क" स्थापित किए जाए;

(दो) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(3) मतदाता का डाटा इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की नियंत्रण इकाई (कन्ट्रोल यूनिट) में दो जगह अभिलिखित होता है. एक नियंत्रण इकाई की मेमोरी में तथा दूसरा इकाई में स्थापित डिटेचेबल मेमोरी मोड्यूल में निर्वाचन आयोग,

न्यायालयीन प्रकरणों में उपयोग के लिए, निर्वाचनों के परिणाम की घोषणा हो जाने के पश्चात् कन्ट्रोल यूनिट का डाटा सील करने के निदेश जारी करेगा और अभिलेख के अभाव में आगामी निर्वाचनों के लिए कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा. सील करने की प्रक्रिया आयोग द्वारा अवधारित की जाएगी.''.

10. नियम 79 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(3) यदि मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से कराया जाता है तो डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल तथा समस्त आवश्यक सामग्री ऐसी कालावधि तक रखी जाएगी जिसका कि निर्वाचन आयोग किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे.''.

11. प्ररूप 17 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''प्ररूप—17 क

[नियम 63ट का उपनियम (1) (क) देखिए]

मतदाता रजिस्टर

(जहां इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से निर्वाचन कराया जाएगा)

नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिका/नगरपालिक परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन तथा नगरपालिक निगम/नगरपालिका/नगरपालिक परिषद् के वार्ड क्रमांक . . . . से पार्षद् का निर्वाचन

क्रमांक	मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक	मतदाता द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा	मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

दिनांक:— . . . .

रिटर्निंग आफीसर के हस्ताक्षर.''.

12. प्ररूप 18 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"प्ररूप—18 क

(नियम 63 थ देखिए)

भाग—1 अभिलखित मतों का लेखा

(जहां इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से निर्वाचन कराया जाएगा)

नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिका/नगरपालिक परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन तथा नगरपालिक निगम नगरपालिका/नगरपालिक परिषद् के वार्ड क्रमांक . . . . से पार्षद् का निर्वाचन

मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक . . . . . . .नियंत्रण यूनिट क्रमांक . . . . .मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन का पहचान संख्यांक—मतदान यूनिट क्रमांक 1 . . . .

2 . . . .

प्रिन्टर क्र. (यदि प्रयुक्त हुआ है) . . . .

डिटेचेबल मेमोरी मोड्यूल का संख्याक . . . .

1. मतदान केन्द्र में नियत निर्वाचकों की कुल संख्या . . . .
2. मतदाता रजिस्टर में अभिलिखित मतदाताओं की कुल संख्या . . . .
3. मतदाता मशीन में अभिलिखित मतदाताओं की संख्या . . . .
4. नियम 63ठ के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या . . . .
5. मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या (2-3-4=5) . . . .
6. निविदत्त मतपत्रों की संख्या क्रम संख्या

   . . . .से . . . .तक

   क. प्रयोग के लिए प्राप्त . . . .

   ख. निर्वाचकों को जारी किए गए . . . .

   ग. प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए . . . .

7. कागज की सीलों का लेखा मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

   1. उपयोग के लिए प्रदाय की गई कुल सं. . . . .
      कागज की सीलें . . . .से . . . . .तक 1 . . . .

   2. प्रयुक्त हुई कागज की सीलें कुल सं. . . . . 2 . . . .
      . . . .से . . . . .तक 3 . . . .

   3. रिटर्निंग आफिसर को वापस कुल सं. . . . . 4 . . . .
      की गई प्रयुक्त न की गई . . . .से . . . .तक 5 . . . .
      कागज की सीलें

   4. नष्ट की गई कागज की सीलें कुल सं. . . . . .क्रं. 6 . . . .
      यदि सं. . . . . . .से . . . तक

तारीख . . . . . रिटर्निंग आफीसर के हस्ताक्षर

स्थान . . . . . मतदान केन्द्र क्रं. . . . .

भाग—2 प्रारम्भिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में पाए गए मतों की कुल संख्या . . . .

2. इस भाग में मद 1 में दर्शाई गई मतों की कुल संख्या और भाग—1 की मद 3 में दर्शाए गए मतों की कुल संख्या में पाया गया अंतर, यदि कोई हो . . . .

तारीख . . . . .

स्थान. . . . .

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम. . . . .

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम . . . .

13. प्ररूप 20 के पश्चात्, निम्नलिखित नया प्ररूप अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"प्ररूप—21 क

(नियम 69ख देखिए)

गणना का परिणाम

(जहां इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से निर्वाचन कराया जाएगा)

नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिका/नगरपालिक परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन तथा नगरपालिक निगम/नगरपालिका/नगरपालिक परिषद् के वार्ड क्रमांक . . . . से पार्षद् का निर्वाचन

(महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद् के लिए पृथक-पृथक् भरा जाए)

मतदान केन्द्र क्रमांक . . . .

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन नियंत्रण यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

(क) अन्डर/नो वोटो की संख्या

(ख) अनफिनिस्ड मतों की संख्या

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता का नाम तथा पूरे हस्ताक्षर

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर (नगर निगम)

नाम . . . .

स्थान . . . . .

दिनांक / /2014

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2014

क्र. 16-एफ-1-33-2013-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 16-एफ-1-33-2013-अठारह-3, दिनांक 5 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

Bhopal, the 5th July 2014

Not. No. 16-F-1-33-2013-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 and section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and sub-section (2) of Section 32 read with Section 355 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby,makes the following amendments in the Madhya Pradesh Municipalities Election Rules, 1994, with consultation of State Election Commission, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,

1. After rule 3, the following rule shall be inserted, namely:—

"3-A Breach of offical duty in preparation of Voters list etc.—

(1) If any Registration Officer, Assistant Registration Officer or any person who breaches any offical duty which he has to carry out under the provisions of the said Act relating to revision or correction of any entry which has to be included or excluded from the voters list, then in case of such breach of any act or omission without any reasonable cause he shall be punished with imprisonment which shall be not less than three months, but it may be extended upto two years with fine.

(2) Unless any complaint is made by the Election Commission or the Collector and District Electoral Officer of the district or under his authority, no court shall be able to punish under sub-rule (1) without any cognizance.".

2. In rule 5, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2-a) Registration Officer/Assistant Registration Officer, as the case may be shall authorize an employee to receive the claim/objection on the draft voters list. This employee shall be authorized with reference to the ward.".

3. for sub-rule (1) of rule 26, the following sub-rule shall be substituted namely:—

"(1) any candidate shall not be considered duly nominated unless he has deposited the following sum of amount in cash either at the time of submitting his nomination form or before to the Returning Officer under rule 25, namely:—

(a) For the seat of Councillor—

(i) an amount of Rs. 1000/- in case of Municipal Council;

(ii) an amount of Rs. 3000/- in case of Municipality;

(iii) an amount of Rs. 5000/- in case of Municipal Corporation;

(b) an amount of Rs. 10000/- for the position of President of Municipal Council.

(c) an amount of Rs. 15000/- for the position of President of Municipality.

(d) an amount of Rs. 20000/- for the position of President of Municipal Corporation:

Provided that where the candidate is a woman or a member of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, it shall be desired to deposit the half of the above amount under this rule.''.

4. In Chapter-VIIA, the words "electoral roll'' wherever they occur, the words "voters list'' shall be substituted.

5. In rule 63K, in sub-rule (1), in clause (a), for the words, figure, brackets and letter "as provided in rule 50 (4) (a)'', the words, figure, brackets and letter "as provided in rule 50 (4) (a), the voter shall record the voter number in Form-17-A'' shall be substituted.

6. In rule 63N, in sub-rule (4), for the words, figure and letter "after following the same procedure as laid down in rule 63M'', the words, figure and letter "following the same procedure as laid down in rule 63M'', shall be substituted.

7. in rule 63Q, for the word and figure "Form-18'', the word, figure and letter "Form-18-A'' shall be substituted.

8. In rule 69, in Sub-rule (2), for the word and figure "Form 21'', the word and figure "Form 21-A'' shall be substituted.

9. In rule 69 C,—

(i) in sub-rule (1), for the word and figure "Form 21'', the word, figure and letter "Form 21-A'' shall be substituted;

(ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:—

"(3) The data of a voter is recorded in two places in the Control Unit of Electronic voting Machine. One is recorded in the memory of Controal Unit and the other one is recorded in the Detachable Memory Module established in the Unit. The Election Commission shall issue instructions to seal the data after declaration of result of elections in the Control Unit for the use of court cases and for want of record and the Control Unit and Ballet Unit shall be used for the forthcoming elections. The process of sealing shall be determined by the Commission.''.

10. In rule 79, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:—

"(3) If the polling is done by Electronic Voting Machine, then the Detachable Memory Module and all the necessary materials shall be kept for a period, as the Election Commission may instruct either by a general or special order.''.

11. After Form 17, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM—17-A

[see sub-rule (1) (a) of rule 63k]

VOTER REGISTER

(Where the polling shall be done by Electronic Voting Machine)

The election of Mayor/President and Councillor from Ward No. . . . . .of Municipal Council/Municipality/ Municipal Corporation . . . .

No. (1)	Number of voter in the voters' list (2)	The datails of documents produced by the voter as a proof of his identity (3)	Signature/Thumb impression of a voter (4)	Remarks (5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Date: . . . . signature of Presiding Officer.''.

12. After Form 18, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM—18-A

(see rule 63Q)

PART-1 ACCOUNT OF RECORDED VOTES

(Where the polling shall be done by Electronic Voting Machine)

The election of Mayor/President and election of Councillor from Ward No. . . . . .of Municipal Council/ Municipality/Municipal Corporation . . . .

The number and name of Polling Centre . . . . .Contoral Unit No. . . . . .the Identity No. . . . . . of polling machine used, Polling Unit No. 1 . . . . .2 . . . . .Printer No. (If used) . . . . No. of Detachable Memory Module . . . .

1. The total number of Electoral fixed in the Polling Centre : . . . .
2. The total number of voters recorded in the Voters' Register : . . . .
3. The number of voters recorded in voting machine : . . . .
4. The number of voters who are not permited to vote under the provisions of rule 63L. : . . . .
5. The number of voters who have decided not to poll (2-3-4=5) : . . . .
6. The number of tendered ballets : . . . .

Serial Number

Total From . . . . .to . . . .

(a) Received for use : . . . .

(b) Issued to the Electoral : . . . .

(c) Not used and taken back : . . . .

7. Account of seals of paper — Signature of Election Agent

1. The seals of paper Total Number . . . . granted for use — 1 . . . .

S. No. From . . . . .to . . . . . .

2. Used seals of paper Total Number . . . . — 2 . . . .
S. No. From . . . . .to . . . . . .

3. The unused seals of paper returned to the — 3 . . . .

Returning Officer Total Number . . . . — 4 . . . .

S. No. From . . . . .to . . . . . .

4. The seals of paper destroyed, if any Total Number . . . . S. No. From . . . . .to . . . . . . — 5 . . . .

6 . . . .

Date : . . . . Signature of the Presiding Officer

Place: . . . . Polling Centre No. . . . .

PART—2

RESULT OF PRELIMINARY CALCULATION

1. Total number of votes found in Electronic Voting Machine used at the Polling Centre. : . . . .

2. Any difference found in total number of votes shown in Head-1 of this part with Head-3 of Part-1, if any : . . . .

Date: . . . . Signature of the Calculating Supervisor

Place: . . . . Name . . . .

Signature of the Returning Officer (Municipality)

Name: . . . .".

"FORM—21-A

(See rule 69B)

RESULT OF CALCULATION

(Where the polling shall be done by Electronic Voting Machine)

The election of Mayor/President and election of Councillor from Ward No. . . . . .of Municipal Council/ Municipality/Municipal Corporation . . . .(To be filled in separately for Mayor/President and Councillor).

Polling Centre No . . . .

S. No.	Name of Candidate	The number of votes received as per the Election Control Unit
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

(a) Under/Number of no, voting

(b) The number of unfinished votes.

Signature of Calculating Supervisor
The name and full signature of Candidate/
Election Agent/Calculating Agent

Date: . . . .
Place . . . .

Signature of the Returning Officer
(Municipal Corporation)

Name . . . .".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.